

सी.एस.आई.आर. - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान  
पिलानी (राज.)

दिनांक 02.05.2023

सं. 1(1) वरीयता सूची/2023

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:- वर्ष 2023 में गैर-हकदार कर्मचारियों को आवास आवंटन के लिये वरीयता सूची बनाने हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।**

संस्थान के कॉलोनी परिसर में रिक्त आवासों के मध्यनजर संस्थान की आवास आवंटन समिति की अनुशंसा एवं निदेशक महोदय के अनुमोदनानुसार, इच्छुक गैर-हकदार कर्मचारियों से वर्ष 2023 में अस्थाई आवास आवंटन (केवल सी टाईप, ई टाईप एवं एफ टाईप) के लिये (आवास आवंटन) नियमावली, 2022 के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदक कृपया अपनी पात्रता से उच्च टाइप के आवास के लिए सीरी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र भरें।

विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए पात्रता निम्नवत् है:-

क्र.सं.	आवास का प्रकार	पुरानी पात्रता	वेतन मैट्रिक्स स्तर (नवीन पात्रता) (Level in the Pay Matrix)
1.	एच - टाईप (i)	R 1300 से 1800 ग्रेड पे.	स्तर - 1
2.	जी - टाईप (ii)	R 1900 से 2800 ग्रेड पे.	स्तर - 2 से 5
3.	एफ - टाईप (iii)	R 4200 से 4800 ग्रेड पे.	स्तर - 6 से 8
4.	ई - टाईप (iv)	R 5400 से 6600 ग्रेड पे.	स्तर - 9 से 11
5.	डी - टाईप (v)	R 7600 से 8900 ग्रेड पे.	स्तर - 12 से 13A
6.	सी - टाईप (vi)	R 10,000 ग्रेड पे.	स्तर - 14 से ऊपर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को रिहायशी आवास का आरक्षण सी.एस.आई.आर. आवंटन नियमों के अनुसार दिया जायगा।

**टिप्पणी:-**

- कृपया निर्धारित प्रपत्र सीरी वेबसाइट से प्राप्त कर स्थापना अनुभाग-11 से सत्यापित करवाकर दिनांक 17.05.2023 तक स्थापना अनुभाग-111 में जमा करा दें।
- यह आवंटन सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 2022 के निम्न नियमों के अधीन रहेगा:  
i) नियम 4.4 - किसी कर्मचारी को उसकी हकदारी के आवास के टाईप से उच्च टाईप का आवास उसके अनुरोध पर उस स्थिति में अस्थायी तौर पर आवंटित किया जा सकता है कि उस टाइप के आवास के हकदार सभी पात्र कर्मचारियों की आवास व्यवस्था कर दी गई हो बशर्ते कि कोई भी हकदार कर्मचारी (ऐसा आवंटी) जैसे ही आवास की मांग करता है तो इस आवास को एक माह की सूचना पर खाली कर देगा। ऐसा न करने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है बशर्ते उस कर्मचारी को हकदारी प्रकार का आवास आवंटित किया गया हो।

बन शीकर  
02/05/2023

ii) नियम 4.9 - प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक (संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर सीएसआईआर मुख्यालय के मामले में) आवास आवंटन समिति की सिफारिश पर गैर-हकदार कर्मचारियों को केवल निम्न मामलों में आवंटन कर सकते हैं:-


क) जहां ऐसे आवास के आवंटन के लिए कोई वास्तविक आवेदक नहीं है

ख) कार्यात्मक आधार पर

हालांकि, वास्तविक आवेदक, जब इस तरह के आवास के आवंटन के लिए पात्र हो जाएगा उसके हितों से समझौता किए बिना इस तरह के आवंटन किए जाएंगे, गैर-हकदार कर्मचारियों को आवंटन तदर्थ आधार पर किया जाएगा और तभी नियमित किया जाएगा जब आवंटिती कम से कम दो साल की अवधि तक आवंटित घर में रहा है।

iii) नियम 17.6 - किसी भी प्रकार के आवास का खाली रहने और प्राथमिकता सूची में पात्र कर्मचारी न होने के मामले में, प्रयोगशाला/संस्थान का प्रमुख अपात्र कर्मचारियों से आवेदन मांग कर सकता है और नियम 2.0 (क), 2.0 (ख) तथा 2.0(ड) के अनुरूप प्राथमिकता सूची तैयार करवा कर आवास आवंटित कर सकता है। इस मामले में संबंधित कर्मचारी को ऐसे आवास के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क देना होगा।

अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
(जय शंकर शरण)  
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कार्यालय
2. अध्यक्ष आवास आवंटन समिति
3. सूचना पट्ट